न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज०

बइजलास राजेशा डागा आर0ए0एस0

मु.नं. 46/19

कंचन बाई पुत्री बिरधीलाल बेवा स्व. हरिप्रसाद जाति कुम्हार निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास हाल निवासी नयापुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।

—वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित —

वादीनी की आरे से— विद्धान अधिवक्ता महेश कुमार मालव एडवोकेट।

प्रतिवादी की ओर से— नायब तहसीलदार, कनवास जिला कोटा राज0।

निर्णय

दिनांक— 16.07.2020

वादीनी ने एक वाद उक्त उनवान का इस आशय का माननीय न्यायालय में पेश किया कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम धूलेट पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 में खसरा नं. 542/723 की रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा आराजी को फाड तौडकर काश्त योग्य बनाया था तथा वादीनी ही उस पर काश्त करती थी जो बाद में दिनांक 17.06.1982 को वादीनी को अलौट हुई तथा उसके अलौट मेन्ट का आवंटन पत्र भी श्रीमान परगना अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा वादीनी को दिया गया जो बाद में वादीनी के खातेदारी में भी दर्ज हो चुकी है तथा वादीनी निरन्तर आज दिन तक उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। उक्त आवंटन माननीय परगना अधिकारी रामगंजमण्डी ने जो वादीनी के नाम आवंटन पत्र दिया उसमें वादीनी का

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

नाम कंचन बाई पुत्री बिरधीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम धूलेट के नाम से जारी किया था लेकिन उक्त पट्टे में आत्मज/पुत्री/विधवा में किसी के ऊपर (√) नही लगा रखा था इसलिए राजस्व कर्मचारियों द्वारा जब बाद में बनी जमाबंदियों में त्रुटिवश वादीनी का नाम कंचन बाई पुत्री बिरधीलाल के बजाय कंचन बाई बेवा बिरधीलाल दर्ज कर दिया गया जबकि वादीनी बिरधीलाल जी की बेवा नही हो करं पुत्री है। वादीनी का खाते में नाम बोल रहा था इसलिए वादीनी उक्त त्रुटि को समझ ही नही पाई वादीनी को उक्त त्रूटि की जानकारी दिनांक 02.06.2019 को नकल जमाबंदी निकलवाकर किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकरण करवाते समय ई–मित्र संचालक द्वारा बताने पर हुई। इस पर वादीनी ने उक्त त्रूटि को दुरूस्त करवाने का प्रार्थना पत्र माननीय तहसीलदार साहब, कनवास के यहां दिनांक 20.06.2019 को लगाया लेकिन उनके द्वारा इस त्रूटि की दुरूस्ती हेतु माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की कहने पर अविलम्ब यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया। हाल सेंटलमेंट सम्वत् 2058–77 तक के समय वादीनी को आवंटनशुदा खसरा नं. 542/723 की रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा के नये खसरा नं. 1988 की रकबा 0.56 हैक्टर, खसरा नं. 2003 की रकबा 0.06 हैक्टर खसरा नं. 2004 की रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता 3 की कुल रकबा 0.86 हैक्टर कायम किये जा चुके है। जिन पर वादीनी निर्बाधरूपा से निरन्तर काबिज काश्त है। वादीनी को यह विधिक अधिकार हासिल है कि वह उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में जर्ये इन्द्राज दुरूस्ती माननीय न्यायालय से कंचन बाई बेवा बिरधीलाल की जगह कंचन बाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी स्व. हरिप्रसाद जाति कुम्हार व निवासी धूलेट हाल निवासी नयापुरा कोटा दर्ज करवा लेवें। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया है तथा यह प्रार्थना की है उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम कंचन बाई बेवा बिरधीलाल की जगह दुरूस्त कर कंचन बाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी स्व. हरिप्रसाद जाति कुम्हार निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास हाल निवासी नयापुरा कोटा दर्ज किया जावें तथा इस आशय की इन्द्राज दुरूस्ती व हक घोषणा की डिक्री भी वादीनी के हक में पारित की जावें। वाद दर्ज रजिस्टर किया प्रतिवादी की तलबी जारीकी, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा दिनांक 18.03.2020 को शमिल पत्रावली किया गया, बहस वकील वादी सुनी गई पत्रावली का ध्यान

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी राजस्थान सरकार के जवाब में प्रतिवादी द्वारा आलेखित किया कि वादी अपना नाम कंचन बाई बेवा बिरधीलाल के स्थान पर कंचन बाई पुत्री बिरधीलाल तथा निवासी धूलेट के स्थान पर नयापुरा, कोटा दर्ज करवाना चाहती है। जिसमें किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नही होता है। अतः "बेवा" के स्थान पर पुत्री तथा निवासी धूलेट के स्थान पर नयापुरा, कोटा किये जाने में आपत्ती नही है। इस प्रकार प्रतिवादी राजस्थान सरकार के जवाब व वादीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह प्रकट होता है कि वादीनी कंचन बाई बिरधीलाल जी की बेवा न होकर पुत्री थी जो सहवन से रेकार्ड में बेवा दर्ज हो गई जिसे दुरूस्त किया न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम धूलेट (नया) पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 में वर्तमान खाता संख्या नया 26 के खसरा नं. 1988 की रकबा 0.56 हैक्टर, खसरा नं. 2003 की रकबा 0.06 हैक्टर खसरा नं. 2004 की रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता 3 की कुल रकबा 0.86 हैक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम कंचन बाई बेवा बिरधीलाल के स्थान पर दुरूस्त कर कंचन बाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी स्व. हरिप्रसाद जाति कुम्हार निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास हाल निवास नयापुरा, कोटा दर्ज किया जावें तथा वादीनी को उक्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तद् अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बउनवान

कंचन बाई पुत्री बिरधीलाल बेवा स्व. हरिप्रसाद जाति कुम्हार निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास हाल निवासी नयापुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।

–वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नं. **46/19** सन **2019** तारीख फैसला **16.07.2020 न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री महेश कुमार मालव वादीगण** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी 01 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम धूलेट (नया) पटवार हल्का धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा राज0 में वर्तमान खाता संख्या नया 26 के खसरा नं. 1988 की रकबा 0.56 हैक्टर, खसरा नं. 2003 की रकबा 0.06 हैक्टर खसरा नं. 2004 की रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता 3 की कुल रकबा 0.86 हैक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीनी का नाम कंचन बाई बेवा बिरधीलाल के स्थान पर दुरूस्त कर कंचन बाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी स्व. हरिप्रसाद जाति कुम्हार निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास हाल निवास नयापुरा, कोटा दर्ज किया जावें तथा वादीनी को उक्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है **तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।** नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **16.07.2020** माह जुलाई 2020 को जारी की गई।

मोहर ....

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	""	---------NIL-----		स्टाम्प वकालतनामा	""	---------NIL-----	
स्टाम्प वकालतनामा	""			स्टाम्प अर्जी	""		
स्टाम्प वजह सबूत	""						
महनताना वकील	""			महनताना वकील	""		
खर्चा गवाहान	""			खर्चा गवाहान	""		
फीस कमिश्नर	""			फीस कमिश्नर	""		
बाबत इजराय हुकमनामा	""			बाबत इजराय हुकमनामा	""		
मुतफर्रिक	""			मुतफर्रिक	""		
मीजान	""			मीजान	""		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास